न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 169/2016 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2016/00190**

1. रामचंद्र पुत्र हेतराम नायक
2. लाजपत पुत्र हेतराम
3. जगदीश पुत्र हेतराम नायक
4. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम नायक
5. पृथ्वीराज पुत्र मनीराम
6. नानकराम पुत्र लालचन्द्र
7. बुधराम पुत्र लालचन्द्र
8. प्रेमकुमार पुत्र लालचन्द्र
9. अवतारसिंह पुत्र बचनसिंह
10. सूरज प्रकाश पुत्र रामचन्द्र
11. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
12. जगदीश पुत्र द्वारकाप्रसाद
13. मोहनलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद
14. धनाराम पुत्र किशनलाल
15. हरीराम पुत्र किशनलाल
16. जानकी पुत्र किशनलाल
17. रामकुमार पुत्र हजारीराम
18. परमजीत कौर पत्नि राजूसिंह
19. दयाराम पुत्र रामचन्द्र
20. राजकुमार पुत्र हंसराज
21. जंगीरसिंह पुत्र लारासिंह
22. पारी देवी पत्नि लालचन्द्र
23. मीरा देवी पत्नि हंसराज
24. परमजीत कौर पत्नि सुरजीत सिंह
25. सुखदेव सिंह पुत्र जंगीरसिंह
26. रिछपाल सिह पुत्र श्रीदयाल सिह
27. फूलचन्द पुत्र लालचंद
28. प्रेमसिंह पुत्र लखासिंह
29. कालूराम पुत्र हेतराम

सभी निवासी चक 1 ई0छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

संभागीय आयुक्त बीकानेर

1. भारत सरकार जरिये रक्षा मंत्रालय कमाडेन्ट लेफ्टीडेन्ट कर्नल मिल्ट्री स्टेशन हेडक्वार्टर सादुवाली श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजेश कुमार लदरेचा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.08.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– तहसीलदार श्रीगंगानगर ने चक 1 ई.छोटी का मु.नं. 48 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वान्सी में से 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 12.11.2001 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में स्वीकार किया। अपीलांट्स ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 54 के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील अस्वीकार कर तहसीलदार श्रीगंगानगर के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 12.11.2001 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगाानगर के उक्त आदेश दिनांक 25.08.2004 के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना जारी किया गया है। अति. जिला कलक्टर ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट कमजोर वर्ग के व्यक्ति है। अपीलांट 1965 से ही विवादित भूमि पर अपने–अपने मकान बना कर परिवार सहित निवास कर रहें हैं। कई व्यक्तियों को मकान के पट्टे भी जारी हो चुके है। विवादित भूमि भारत सरकार के किसी काम में नही आ रही है। अति. जिला कलक्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि राजमाता सुदर्शन कुमारी के नाम खातेदारी में दर्ज रहीं ओर अपीलांट राज परिवार कि स्वीकृति से ही विवादित भूमि पर मकान बना कर निवास कर रहें हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पर ग्राम पंचायत ने कई पट्टे जारी कर रखें है, और उक्त भूमि पर राजीव गांधी पाठशाला सन् 1999 से चल रही है। विवादित भूमि पर जो करणीसिंह मार्ग की और जाती हुई सडक पर है। भारत संघ सेना की तमाम भूमि सड़क की दूसरी ओर है इसलिए उक्त भूमि जहां अपीलांट निवास करते है वे सेना के किसी भी काम में नहीं आ रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 25.08.2004 एवं तहसीलदार सादुलशहर के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 12.11.2001 को निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट्स का अनाधिकृत कब्जा है। अपीलांट्स का विवादित भूमि पर कानूनी हक नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि सेना के लिए अधिग्रहण किया जाकर इंतकाल रक्षा मंत्रालय के नाम दर्ज कर दिया गया हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि राजमाता श्री सुर्दशना कुमारी साकिन बीकानेर की खातेदारी भूमि थी जिसका अधिग्रहण कर रक्षा मंत्रालय के नाम इंतकाल विधिवतरूप से दर्ज किया गया है। विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कोई कानूनी हक नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2004 पारित करते हुए अपीलांट्स की अपील को ठोस साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत करने के अभाव में खारिज किया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने इंतकाल संख्या 54 दिनांक 12.11.2001 द्वारा वादगत भूमि को राजमाता श्रीसुर्दशना कुमारी से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज किया। अपीलांट्स द्वारा वादगत भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह प्रमाणित हो सके की अपीलांट का उक्त वादगत भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी हक है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2004 उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2004 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवरिथत रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर